कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 18.05.2026

थाना खागा पुलिस द्वारा चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए चोरी में संलिप्त 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का माल बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण - दिनांक 17.05.2026 को थाना खागा पर वादिनी श्रीमती सीमा देवी निवासी आबू नगर थाना कोतवाली जनपद फतेहपुर प्रधानाध्याप प्राथमिक विधालय उमरा थाना खागा जनपद फतेहपुर द्वारा दी गयी तहरीर बाबत दिनांक 17.05.2026 को अज्ञात चोरों द्वारा विधालय की दीवार काटकर रसोईघर से चोरी कर ली गई थी जिसमें 01 सिलेण्डर , 02 भट्ठी, 03 भगोने, 40 थाली,50 गिलास, 01 प्रेशर कुकर(10 ली0), 10 प्लेट, 01 तवा तथा चमचा व करछुल चोरी कर ले जाने के संबंध में थाना खागा पर मु0अ0स0 157/2026 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तारी का विवरण- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर के पर्यवेक्षण में पुलिस उपाधीक्षक नगर के कुशल नेतृत्व में पंजीकृत उपरोक्त अभियोग मु0अ0सं0 157/2026 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0 की विवेचनात्मक कार्यवाही एवं प्रभावी पतारसी सुरागरसी के परिणाम स्वरुप मुखबिर की सूचना पर आज दिनांक- 18.05.2026 को रात्रि करीब 12:31 बजे थाना खागा पुलिस द्वारा भोगलपुर अन्डर बाई पास मोड़ पर थाना खागा जनपद फतेहपुर से उपरोक्त चोरी की घटना में संलिप्त अभियुक्त रोशन सिंह पुत्र तूफान सिंह निवासी ग्राम उमरा थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र 45 वर्ष को चोरी किए गए सामान के साथ किया गया गिरफ्तार। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 157/26 धारा 331(4)/305 बीएनएस मे धारा 317(2) बीएनएस की बढोतरी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त रोशन सिंह उपरोक्त को आज दिनांक 18.05.2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त रोशन सिंह द्वारा चोरी की घटना में सम्मिलित 1. बल्लू सिंह पुत्र भोला सिंह एवं 2. दीपक सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासीगण ग्राम उमरा थाना खागा जनपद फतेहपुर के नाम प्रकाश में आए,थाना खागा पुलिस द्वारा दोनों प्रकाश में आए अभियुक्तों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ में अभियुक्त रोशन सिंह पुत्र तूफान सिंह निवासी ग्राम उमरा थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र 45 वर्ष ने बताया कि उसने अपने 02 साथियों 1.बल्लू सिंह पुत्र भोला सिंह व 2. दीपक सिंह पुत्र कल्लू सिंह निवासीगण ग्राम उमरा थाना खागा जनपद फतेहपुर के साथ मिलकर प्राथमिक विद्यालय ग्राम उमरा से चोरी की थी। तीनों चोरी का सामान बेचने हेतु फतेहपुर जाने के लिए साधन का इंतजार कर रहे थे, तभी पुलिस द्वारा मुझको पकड़ लिया गया तथा मेरे दोनों साथी पुलिस को देखकर फरार हो गए।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

रोशन सिंह पुत्र तूफान सिंह निवासी ग्राम उमरा थाना खागा जनपद फतेहपुर उम्र 45 वर्ष

बरामदगी का विवरण-

01 सिलेण्डर
01 कुकर
01 एल्युमिनियम भगौना
01 स्टील भगौना
01 स्टील का चूल्हा
01 लोहे का गैस चूल्हा
27 स्टील गिलास
01 स्टील करछुल
07 स्टील के कप
02 स्टील थाली

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 दिग्वेन्द्र सौरभ
2.उ0नि0 सौरभ कुमार सरोज
3.का0 अनिल कुमार
4.रि0का0 अतुल यादव
5.रि0का0 सोनू यादव